

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) No.1026

थाना कांड सं.-53 वर्ष-2017 थाना-कस्बा जिला-पूर्णिया से उत्पन्न

=====

मो. अमजद उर्फ अमजद अब्दुल करीम का बेटा, गाँव-सरोचिया, थाना-कस्बा, जिला-पूर्णिया का निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

=====

इस मामले में घटनाएँ इस प्रकार हैं: एक लड़की सुबह शौच के लिए खेतों में गई थी जहाँ फसलें बोई हुई थी, अ. ग.-2 ने कुछ हलचल देखी और जब वह देखने गई तो उसने अपीलकर्ता, पड़ोसी को अपनी बहन के साथ बलात्कार करते देखा। उसे देखकर अपीलार्थी भाग गया। उसने अपनी बहन को गतिहीन देखा और जो कुछ उसने देखा था उसके बारे में अपने माता-पिता और अन्य लोगों को सूचित करने के लिए घर वापस चली गई। उसके परिवार के सदस्य और पड़ोसी उसे घर ले आए और उसे कपड़े से ढक दिया और पुलिस को सूचित किया। तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। उसके शरीर पर हमले के निशान थे, वह भी रस्सियों से बंधी हुई थी और उसका मुँह बंद था। अपीलार्थी का आधार कार्ड पीड़ित के शव के पास पाया गया था। बहन प्रत्यक्षदर्शी होती है। मृतक का निरीक्षण करने वाली महिला चौकीदार को पीड़ित के गुप्तांगों पर लाल रंग की चोट और मृतक के गले में एक तौलिया लपेटा हुआ मिला। न्यूनतम 20 वर्ष के कारावास की सजा। याचिका खारिज-सजा परिवर्तित।

संदर्भ- भा.दं.सं. की धारा 376 और पोस्को अधिनियम, 2012 की धारा 3,4 और 6

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 का आपराधिक आवेदन (डी. बी.) No.1026

थाना कांड सं.-53 वर्ष-2017 थाना-कस्बा जिला-पूर्णिया से उत्पन्न

मो. अमजद उर्फ अमजद अब्दुल करीम का बेटा, गाँव-सरोचिया, थाना-कस्बा, जिला-पूर्णिया का निवासी।

.....अपीलकर्तागण

बनाम

बिहार राज्य

.....उत्तरदाता/प्रतिवादीगण

उपस्थिति:

अपीलार्थी के लिए : श्री अमित कुमार आनंद, अधिवक्ता।

उत्तरदातागण के लिए : श्री सत्य नारायण प्रसाद अतिरिक्त लोक अभियोजक

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय श्री जस्टिस नानी टागिया

मौखिक निर्णय

(निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तिथि: 28.01.2024

हमने एकमात्र अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित कुमार आनंद और राज्य के विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक श्री सत्य नारायण प्रसाद को सुना है।

2. अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376,2 (एम), 376 (ए) और 302 और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराया गया है।

कस्वा थाना से उत्पन्न 2017 के विशेष पॉक्सो कांड सं. 24 में विद्वान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश, पूर्णिया द्वारा दिनांक 27.07.2012 को पारित निर्णय

3. अपीलार्थी के दिनांक 31.07.2017 के सजा आदेश के द्वारा धारा 376 (2) (एम), 376 (ए) और 302 भा.दं.सं. के प्रत्येक में शेष जीवन के लिए कारावास एवं 25000/- रुपये अर्थ दण्ड की सजा दी गई। पॉक्सो अधिनियम 2012 की धारा 4 एवं 6 के तहत कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

4. अपीलार्थी के हाथों एक 17 वर्षीय लड़की का बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई।

5. घटना के बारे में रिपोर्ट उसकी बड़ी बहन (पी. डब्ल्यू. 5), एक 19 वर्षीय लड़की द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो व्यावहारिक रूप से भयानक अपराध की गवाह थी। उसने अपने घर पर लगभग 12 बजे 10.04.2017 को सूचना दी थी कि सुबह मृतक खेतों में नित्य कर्म से निबटने के लिए गई थी और वह उसी उद्देश्य के लिए खेतों में गई लेकिन अपनी बहन से कुछ देर बाद जब वह घर वापस आ रही थी, तो उसने मकके के खेत में कुछ हलचल देखी, जहाँ उसके चाचा/लक्ष्मी साह (पी. डब्ल्यू. 2) द्वारा फसलें बोई गई थीं क्योंकि उन्होंने हिस्सेदारी फसल के लिए जमीन प्राप्त की थी। फसल पर किसी शाकाहारी जानवर के कुतरने का संदेह करते हुए, वह उस जगह के पास गई जहां उसने गतिविधि देखी थी और यह देखकर दंग रह गई कि उसकी छोटी बहन (मृतक) नग्न पड़ी थी, उसके हाथ और पैर रस्सी से बंधे थे और उसका मुंह कपड़े के टुकड़े से दबा हुआ था और अपीलकर्ता, एक पड़ोसी, उसके साथ बलात्कार कर रहा था। उसे देखकर अपीलार्थी उठा और भाग गया। उसने पाया कि उसकी बहन पूरी तरह से गतिहीन थी और उसके शरीर पर नाखून काटने के निशान और चोट के निशान थे। शायद वह मर चुका था। वह मदद के लिए चिल्लाई और अपने घर वापस चली गई और अपने माता-पिता और अन्य लोगों को बताया कि उसने खेत

में क्या देखा था। उसके बाद उसके परिवार के सदस्य और ग्रामीण पी. ओ. के पास गए और वे सभी मृतक को ले आए और उसे खोल दिया। तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

6. पुलिस को मामले की सूचना देने से पहले, पीडब्लू 5 के सभी परिवार के सदस्य अन्य ग्रामीणों के साथ अपीलार्थी के घर उसकी तलाश करने गए, लेकिन उसका पूरा परिवार शायद फरार हो गया था। पुलिस दल तब मुखबिर के घर पहुँचा जहाँ उसका फरदबेयान/बयान दर्ज किया गया था।

7. पी. डब्ल्यू. 5 कस्बा थाना 2017 का कांड संख्या 53 दिनांक 10.04.2017 के पूर्व उल्लिखित फरदबेयान/बयान के आधार पर भा.द.वि. की धारा 376 और 302 के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 3,4 और 6 के तहत जांच के लिए दर्ज किया गया था।

8. पुलिस को टेलीफोन पर सूचित किया गया कि एक किशोर लड़की के साथ बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस दल मृतक के घर पहुँचा था और फिर उस खेत में गया था जहाँ यह घटना हुई थी। पुलिस को अपीलार्थी का नाम, हस्ताक्षर और फोटो वाला एक आधार कार्ड मिला जिसे जब्त कर लिया गया था।

9. पुलिस ने जाँच के बाद अपीलार्थी पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया और उस पर मुकदमा चलाया गया।

10. विद्वत् विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से दस गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से दो गवाहों से पूछताछ करने के बाद अपीलार्थी को दोषी ठहराया और उपरोक्त के अनुसार सजा सुनाई।

11. मुकदमे में, पी. डब्ल्यू. 5 ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्य का पूरी तरह से समर्थन किया है। उन्होंने निचली अदालत के समक्ष इस कहानी को सटीकता के साथ दोहराया है।

12. अपीलार्थी को मृतक के ऊपर चढ़ते देख वह चिल्लाने लगी। इसके बाद कहा जाता है कि अपीलार्थी पश्चिम की ओर भाग गया था। वह भी जल्दी से घर वापस आ गई और अपने माता-पिता और अन्य लोगों से सब कुछ बता दिया। परिवार के सभी सदस्यों को बताया गया कि उसने खेतों में क्या देखा था। इसके बाद परिवार के सदस्य खेत में गए और मृतक के शव को ले आए। उसके गले पर नाखून काटने के निशान थे। पीड़ित की नाक से खून बह रहा था और उसकी गर्दन पर चोट और त्वचा पर विवर्णता दिखाई दे रहा था, जिससे गला घोटने का संकेत मिलता है। इसके बाद शव को कपड़े के टुकड़े से ढक दिया गया। शव को घर वापस लाया गया और हाथ और पैर खोले गए। पुलिस दोपहर 12 बजे पहुंची। लेकिन उससे पहले, जैसा कि उसने फ़र्दबेयान/बयान में बताया था, वह अन्य लोगों के साथ अपीलार्थी के घर केवल यह देखने के लिए गई थी कि अपीलार्थी और उसके परिवार के सदस्य भाग गए हैं।

13. उन्होंने अपीलार्थी के आधार कार्ड को खेतों से जब्त किए जाने की पुष्टि की है। पुलिस ने बाद में उसी लेन-देन में मृतक के हाथ और पैर बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली रस्सियों के साथ-साथ एक छोटा तौलिया भी जब्त किया, जिससे मृतक का गला दबाया गया था।

14. पीड़ित/मृतक के बारे में बात करते हुए, पीडब्लू 5 ने निचली अदालत के समक्ष आगे कहा है कि घटना के समय, मृतक नौवीं कक्षा की छात्रा थी और उसकी जन्म तिथि 04.02.1998 थी।

15. निचली अदालत के समक्ष उनकी गवाही को किसी भी कारण से विचलित नहीं किया जा सका। उनके बयानों में कोई अलंकरण या दिक्कालक्रमिता नहीं थी।

16. विद्वत न्यायिक दंडाधिकारी दिव्या प्रकाश (पीडब्लू. 10) ने पुष्टि की है कि पीडब्लू. 5 उनके सामने पेश हुई थी और आप. दंड. संहिता की धारा 164 के तहत

उनका बयान दर्ज कराया था। उन्होंने चंदर महलदार (पीडब्लू. 6) का भी बयान दर्ज किया था।

17. Cr.P.C की धारा 164 के तहत अपने बयान में, पीडब्लू 5 ने भी वही बातें कही थीं जो उसने 10.04.2017 को खेतों में देखी थीं।

18. डॉ. बिजय कुमार (पीडब्लू 8) द्वारा उसी दिन लगभग 02:30 बजे अपराहन शव का परीक्षण किया गया। गर्दन और नाक पर नाखून काटने के कई निशान थे। गर्दन की मांसपेशियों क्षत-विक्षत पाया गया। श्वासनली की मांसपेशियाँ भी भारी रूप से दूषित थीं। उन्हें योनि के प्रवेश द्वार के आसपास क्षत-विक्षत धाव मिला था। दो-तीन स्थानों पर योनिच्छद टूट गया था। योनि के स्वाब को वीर्य परीक्षण के लिए भेजा गया था, लेकिन रिपोर्ट नकारात्मक आई। मृत्यु के लिए निर्धारित समय पोस्टमार्टम के समय से 24 घंटे होने का सुझाव दिया गया था। माना जा रहा है कि मौत अवरोधन/गला घोटने और बलात्कार के परिणामस्वरूप दम घुटने से हुई है।

19. यह कि मृतक की मृत्यु गला दबाने, उसकी गर्दन पर दबाव और शारीरिक बल के कारण हुई, जब उसके साथ बलात्कार किया गया था, मुकदमे में साबित हुआ।

20. इस मामले के अन्वेषक अर्थात शैलेश कुमार पांडे (पी. डब्ल्यू. 9) ने मुकदमे में पुष्टि की है कि 10.04.2017 को जब वह कस्बा थाना में कनिष्ठ अवर निरीक्षक के रूप में तैनात था, किसी ने मोबाइल टेलीफोन पर थाना के एस. एच. ओ. को सूचित किया था कि अपीलार्थी ने मृतक के साथ बलात्कार किया था और उसकी हत्या कर दी थी और भाग गया था ।

21. इसलिए, यह इस तथ्य का प्रमाण है कि जिसने भी थाना के एस. एच. ओ. को फोन किया था, वह अपीलार्थी के अपराध करने के बारे में जानता था। यह अभियोजन पक्ष के कथन के अनुरूप है कि पीडब्लू 5 के कुछ ही समय के भीतर घटना को

देखने के बाद, गाँव में और उसके आसपास रहने वाले सभी लोगों को घटना के बारे में पता चल गया था।

22. आई. ओ. (पी. डब्ल्यू. 9) एक महिला चौकीदार और पुलिस बल के साथ पी. ओ. ग्राम की ओर बढ़े। पुलिस दल सबसे पहले मृतक के घर पहुंचा और पी. डब्ल्यू. 5 का *फरदबेयान* दर्ज किया। पी. डब्ल्यू. 5 ने अपने पिता/कृत्य नंद साह (पी. डब्ल्यू. 7) की उपस्थिति में *फरदबेयान* पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने शव का निरीक्षण किया था और महिला चौकीदार को मृतक के गुप्तांगों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया था। महिला चौकीदार को मृतक के निजी हिस्से पर लाल रंग का घाव मिला था। आई. ओ. ने भी पाया था कि मृतक के गले में एक लाल और सफेद रंग का छोटा तौलिया लपेटा गया था। शव के पास एक विशेष प्रकार की रस्सी के दो टुकड़े भी पाए गए। शव के पास मौजूद लोगों ने उन्हें बताया कि जब मृतक को घर वापस लाया गया तो रस्सी के वे टुकड़े खोल दिए गए थे। मृत्यु समीक्षा तैयार की गई थी, जिस पर पी. डब्ल्यू. 5 और दूसरे ने हस्ताक्षर किए थे। तौलिया और रस्सियों को जब्त कर लिया गया और जब्ती की सूची भी तैयार की गई। तभी पुलिस दल घटना स्थल के पास गया अर्थात् मृतक के घर के बहुत पास स्थित एक गोविंद यादव का मक्का का खेत

23. खेतों में, पुलिस दल ने अपीलार्थी के एक आधार कार्ड को देखा, जिसकी जन्म तिथि 07.06.1988 के रूप में दर्ज की गई थी। उस पर अपीलार्थी की तस्वीर भी लगी हुई थी। वह भी जब्त कर लिया गया था (साक्ष्य 6/1)। जांचकर्ता (पीडब्लू 9) ने राजेश महलदार, लक्ष्मी साह और कनक लाल महलदार क्रमशः (अभि.ग. 1,2 और 3) के बयान दर्ज किए थे। जो मृतक के ग्रामीण हैं। वे पी. डब्ल्यू. 5 के चिल्लाने पर घटनास्थल तक पहुँच गए थे और उसने उन सभी को घटना के बारे में बताया था।

24. उनमें से एक अभियोजन गवाह 3 ने अपीलार्थी को भागते देखा था। अभियोजन गवाह 2 संयोग से मृतक के चाचा हैं, जिन्होंने हिस्सेदारी फसल के लिए जमीन (घटनास्थल) ली थी और मक्के की फसल बोई थी।

25. ये व्यक्ति अर्थात् अभियोजन गवाह 1 से 3 हमें सुबह जल्दी संयोग गवाह नहीं लगते हैं, या तो वे घर के काम कर रहे थे या नित्य कर्म को पूरा करने के लिए और फसलों का निरीक्षण करने के लिए खेतों में जाने वाले थे।

26. मृतक के भाई दिलीप कुमार साह को भी अदालत को यही कहानी सुनानी थी। उन्होंने अपीलार्थी को पश्चिम दिशा की ओर भागते हुए भी देखा था।

27. चंदर महलदार (अभि.ग. 6) और मृतक के पिता कृत्य नंद साह (पी.डब्लू.- 7) ने अभियोजन पक्ष के मामले का पूरा समर्थन किया है।

28. बचाव पक्ष के गवाहों के बयान का उल्लेख करना आवश्यक होगा अर्थात् अमरीना खातून (प्रति.साक्षी-1) और मो. अनवीर अपीलार्थी के तर्कों को ध्यान में रखने से पहले अनवीर (प्रति. साक्षी 2)।

29. अमरीना खातून (प्रति सा. 1) अपीलार्थी की बहन है, जिसने दावा किया है कि पुलिस दल ने अपीलार्थी का घर जबरन खोल दिया था और दबाव में आकर अपीलार्थी से संबंधित आधार कार्ड और अन्य दस्तावेजों को जब्त कर लिया था।

30. मो. अनवीर (प्रति सा. 2) ने न्यायालय के समक्ष एक अप्रमाणित बयान दिया है कि अपीलार्थी घटना के दिन एक अलग गाँव में एक राजमिस्त्री के रूप में काम कर रहा था।

31. बचाव पक्ष के दोनों गवाहों की गवाही इस कारण से स्वीकार करने योग्य नहीं है कि अपीलार्थी के आधार कार्ड के संबंध में जब्ती ज़ापन 12:50 बजे अपराहन में 10.04.2017 को तैयार किया गया था, यानी घटना के दिन, जो ठीक उसी समय है जब एफ़. आई. आर. दर्ज की गई थी। उससे कुछ समय पहले कि, रस्सियों और तौलिए का एक

जब्ती-ज्ञापन है जो शव के पास बरामद किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को 11.04.2017 को गिरफ्तार किया गया था और उसके घर से समान गुणवत्ता की रस्सी का एक गुच्छा, एक चाकू और गांजा पीने के लिए एक मिट्टी का बर्तन बरामद किया गया था।

32. प्रति सा. 2 अपीलार्थी के बयान के बारे में कोई और विवरण नहीं दे पाया है, जो उसकी गवाही को निर्भरता के लिए पूरी तरह से अयोग्य बनाता है।

33. अपीलार्थी की ओर से यह आग्रह किया गया है कि यदि गवाहों के बयान को ध्यान से देखा जाता है, तो ऐसा प्रतीत होगा कि उनमें से किसी ने भी घटना या घटनास्थल में अपीलार्थी को नहीं देखा था। उन सभी ने वही बताया है जो प्रति ग. 5 द्वारा उन्हें बताया गया था। हालाँकि, उनके बयान जांचकर्ता के सामने बिल्कुल समकालीन होने के कारण, इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 के तहत साक्ष्य में स्वीकार किया गया था और न्यायसंगत रूप से ऐसा ही था। बिना किसी आधार के, यह भी तर्क दिया गया है, अपीलार्थी को शत्रुता के कारण फंसाया गया है।

34. ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक और अपीलार्थी के परिवारों के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी के बारे में कोई सबूत नहीं है, बल्कि अपीलार्थी का घर मृतक के घर से थोड़ों ही दूरी पर है। अपीलार्थी वासना से अभिभूत हो गया था और उसने न केवल एक नाबालिग के साथ बलात्कार किया था, बल्कि उसकी हत्या भी कर दी थी और वह भी अत्यंत अनैतिकता के साथ। मृतक के पैर और हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, जिससे वह पूरी तरह से स्थिर हो गई थी।

35. यह सब तब किया गया था जब अपीलार्थी ने उसे उन खेतों में अकेला पाया था जहाँ वह नित्यक्रम से निपटने के लिए गई थी।

36. हमने जाँच प्रतिवेदन, शव परीक्षा प्रतिवेदन, जब्ती सूची और गवाहों के बयान की सावधानीपूर्वक जाँच की है और पाया है कि यह अपीलार्थी के खिलाफ एक प्रत्यक्ष मामला है।

37. राज्य की ओर से भी यही तर्क है।

38. इसलिए, अपीलार्थी के आरोप/अपराध के संबंध में विचारण न्यायालय की राय पूरी तरह से उचित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

39. हालांकि, सभी आरोपों के तहत अपीलार्थी पर लगाए गए दंड को देखते हुए भा.द.सं. की धारा 376,2 (एम), 376ए और 302, जो शेष जीवन के लिए कठोर कारावास है, हम पाते हैं कि निचली अदालत ने खुद को पूरी तरह से गलत तरीके से निर्देशित किया है और अपीलार्थी को उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर की सजा सुनाई है।

40. 14 साल से अधिक के लिए किसी भी निश्चित सजा को सुनाना ट्रायल कोर्ट के दायरे से बाहर है।

41. इस संबंध में, सजा सुनाने के संबंध में कानून को स्पष्ट करना लाभदायक और उपयुक्त भी होगा।

42. *बचन सिंह बनाम भारत संघ 1980 (2) एस. सी. सी. 684* में, अपीलार्थी को मृत्युदंड की सजा को बरकरार रखते हुए, उच्चतम न्यायालय ने निर्दिष्ट किया कि मृत्युदंड "दुर्लभतम से भी दुर्लभतम" मामलों में दिया जाना चाहिए।

43. तीन साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने *माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य; 1983 (3) एस. सी. सी. 470* "बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों" की एक संतुलन पत्रक बनाने की आवश्यकता के बारे में बात की और कहा कि कम करने वाली परिस्थितियों को भी पूरा महत्व दिया जाना चाहिए। सजा देने से पहले "उकसाने वाली और कम करने वाली" परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता है। उच्चतम न्यायालय ने प्रश्नगत न्यायालयों के लिए दो-आयामी दृष्टिकोण तैयार किया जिसका पालन करने के लिए प्रश्नगत न्यायालय को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उस अपराध के बारे में कुछ असामान्य है जिसने आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बना दिया है और मौत की सजा दी जानी चाहिए और क्या अपराध और मामले की परिस्थितियों के अनुसार और

अभियुक्त के पक्ष में कम करने वाली परिस्थितियों को अधिकतम महत्व देते हुए, मौत की सजा से कम नहीं उचित होगी।

44. अपराधियों को सजा देने में उक्त सिद्धांत से अतीत में कई विचलन हुए हैं।

45. हालांकि, *संतोष कुमार सतीश भूषण बरियार बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2009) 6 एस. सी. सी. 498*, सुप्रीम कोर्ट ने फिर से स्पष्ट किया और यह तय करने के लिए दो-चरणीय प्रक्रिया का प्रस्ताव रखा कि क्या कोई दोषी मौत की सजा का हकदार है। मौत की सजा दिए जाने के लिए, मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में आना था और दूसरा, अपराध की गंभीरता के खिलाफ आजीवन कारावास के विकल्प को अनुचित माना जाना था। इस मामले को "दुर्लभतम से दुर्लभतम" श्रेणी में रखने का निर्णय लेते समय, अदालत को दोनों शर्तों को समान महत्व देते हुए उत्तेजक और कम करने वाली परिस्थितियों की पहचान करने की आवश्यकता होगी और यह भी निर्णय लेना होगा कि आजीवन कारावास उचित सजा नहीं है, लेकिन यह तभी किया जा सकता है जब कि अपराधी का सुधार संभव/व्यवहार्य नहीं था। इसलिए, ऐसी परिस्थितियों में, राज्य इस सुझाव का समर्थन करने के लिए सामग्री प्रदान करने के लिए बाध्य होगा कि केवल उस मामले में मौत की सजा उचित होगी।

46. लगभग पाँच साल बाद, सर्वोच्च न्यायालय ने *शंकर किशनराव खाड़े बनाम महाराष्ट्र राज्य; 2013 (5) एस. सी. सी. 546* मामले में अदालत ने आगे आगाह किया विचारण न्यायालयों ने कहा कि सजा के संबंध में निर्णय लेने से पहले अपराध और अपराधी दोनों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने जिस बात पर जोर दिया था, वह यह थी कि कम करने वाली परिस्थितियों पर विचार किए बिना और दोषी के सुधार की संभावना पर सामग्री का उल्लेख किए बिना, सजा को छूट नहीं दी जानी चाहिए।

47. यहाँ यह कहना प्रासंगिक होगा कि **स्वामी श्रद्धानंद @मुरली मनोहर मिश्रा बनाम कर्नाटक राज्य में; (2008) 13 एससीसी 767**, पर विचार करने के बाद उच्चतम न्यायालय **गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य; (1961) 3 एस. सी. आर. 440**, **दलबीर सिंह बनाम पंजाब राज्य; (1979) 3 एस. सी. सी. 745**, **सुभाष चंदर बनाम कृष्ण लाल; (2001) 4 एस. सी. सी. 458**, **श्री भगवान बनाम राजस्थान राज्य; (2001) 6 एस. सी. सी. 29**, **मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह; (1976) 3 एस. सी. सी. 470** और कई अन्य मामलों में, यह अभिनिर्धारित किया गया कि अपराध की गंभीरता और अपराध को निष्पादित करने के तरीके के आधार पर, अपराधी को उसके शेष जीवन के लिए या किसी भी निश्चित अवधि के लिए सजा देना उचित होगा। मन की भ्रष्टता को दर्शाने वाले मामले में, आजीवन कारावास की सजा जो सभी इरादों और उद्देश्यों के लिए 14 साल से अधिक नहीं होगी, पीड़ित के लिए अत्यधिक अन्यायपूर्ण होगी। यह उपाय, अर्थात्, शेष जीवन के लिए या 14 वर्ष से अधिक की निश्चित अवधि के लिए और बिना छूट के कारावास का निर्देश, लेकिन केवल तभी लिया जा सकता है जब 14 वर्ष की सजा का दूसरा वैकल्पिक दंड कारावास का अर्थ होगा कोई सजा नहीं।

48. इस प्रस्ताव पर सवाल उठाया गया था, **भारत संघ बनाम वी. श्रीहरण @मुरुगन और अन्य (2016) 7 एस. सी. सी. 1**, जिसमें संविधान पीठ **स्वामी श्रद्धानंद** (ऊपर) में अनुपात को बरकरार रखा कि 14 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए मृत्युदंड के बजाय विशेष श्रेणी की सजा और ऐसी श्रेणी की सजा देना माफी के आवेदन से परे होगा। ऐसा करते समय, उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्त विचार **संगीत और अन्य बनाम हरियाणा राज्य; 2013 (2) एस. सी. सी. 452** में 20 या 25 साल की सजा देकर या बिना किसी छूट के उपयुक्त सरकार की माफी की शक्ति की अनुमति नहीं है और कानून के अनुरूप, विशेष रूप से खारिज कर दिया गया था।

49. हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने विशेष या निश्चित अवधि की सजा देने के विकल्प का प्रयोग करने की शक्ति अपने और उच्च न्यायालयों के पास बरकरार रखी, न कि निचली अदालतों के पास।

50. *विकास चौधरी बनाम दिल्ली राज्य; (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 472*, में सर्वोच्च न्यायालय ने फिर से सभी निर्णयों का क्रमिक रूप से विश्लेषण किया और पाया कि विशेष या निश्चित अवधि की सजा की अवधारणा जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा संवैधानिक न्यायालयों के रूप में दी जा सकती है, कई उद्देश्यों को पूरा करती है, जो इस प्रकार हैं:

“(क) मृत्युदंड के मामलों में एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में जहां न्यायालय की राय थी कि मृत्युदंड अनुचित है, और:

51. (ख) कि न्यायालय की राय थी कि अपराध और या अपराधी के आचरण में ऐसे तत्व थे जो दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा निर्धारित न्यूनतम 14 वर्ष से अधिक की अनिवार्य सजा के अधिरोपण की गारंटी देते हैं।

52. (ग) जहां अदालत ने स्वतंत्र रूप से महसूस किया कि अपराध की गंभीर प्रकृति और उसके करने के तरीके के कारण एक विशेष सजा की आवश्यकता है, जिसके तहत अपराधी को रिहा करने में राज्य के विवेकाधिकार को कम किया जाना चाहिए, ताकि दोषी को कारावास एक निर्दिष्ट वर्षों की संख्या से पहले रिहा न किया जाए।

53. इस प्रकार विचारण न्यायालय को मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दोषी के शेष जीवन के लिए किसी भी संशोधित विशिष्ट अवधि की सजा या आजीवन कारावास लगाने से पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रकार विचारण न्यायालय के पास केवल दो विकल्प हैं अर्थात् सभी छूटों या मृत्युदंड के साथ आजीवन कारावास की सजा देने के लिए, अदालतों को कम करने वाली परिस्थितियों के साथ-साथ गंभीर परिस्थितियों पर विचार करना होगा, जिसके लिए सजा राज्य द्वारा अदालतों को संतुलन परीक्षण करने के

लिए सामग्री प्रदान की जाएगी। यदि राज्य मौत की सजा का प्रस्ताव करता है, तो यह दिखाने का दायित्व राज्य का है कि इसमें कम करने वाली परिस्थितियों का पूर्ण अभाव है और अभियुक्त के सुधार की कोई संभावना नहीं है।

54. **विकास चौधरी** (ऊपर) में, फैसलों को ध्यान में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट **मनोज बनाम मध्य प्रदेश राज्य में; (2023) 2 एस. सी. सी. 353, राजेन्द्र प्रहलादराव वासनिक बनाम महाराष्ट्र राज्य; (2019) 12 एस. सी. सी. 460, चन्नूलाल वर्मा बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; (2019) 12 एस. सी. सी. 438** में उन्होंने आगे कहा कि राज्य और अभियुक्त दोनों से जानकारी प्राप्त करके "अपराध की क्रूरता के प्रति प्रतिशोधात्मक प्रतिक्रिया में फिसलने से बचने के लिए" परीक्षण स्तर पर कम करने वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करना अनिवार्य है।

55. प्रस्तुत मामले में, हम पाते हैं कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी पहला अपराधी था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और वह अपने आचरण और सामाजिक व्यवहार के बारे में अच्छी प्रतिष्ठा रखता था और यह भी कि वह कम उम्र का और समाज के एक गरीब वर्ग का व्यक्ति था।

56. विचारण न्यायालय ने यह भी पाया कि मामले के तथ्य और परिस्थितियां "दुर्लभतम" परीक्षण से कम थीं, लेकिन फिर भी यह माना कि अपीलार्थी अपने शेष प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास का हकदार है।

57. जैसा कि ऊपर बताया गया है, कि यह विचारण न्यायालय के क्षेत्राधिकार से परे था। अपीलार्थी को उन अपराधों के लिए सजा, जिनके लिए वह दोषी साबित हुआ है, अब हमारे द्वारा दी जानी चाहिए।

58. इन सभी वर्षों के लिए जेल में उनके आचरण या उनके सुधार की संभावनाओं के संबंध में किसी भी मूल्यांकन के संबंध में सामग्री की पूरी कमी है। तथापि, उसके आचरण के संबंध में किसी भी नकारात्मक रिपोर्ट के अभाव में और घटना के समय

अपीलार्थी की आयु और उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि तीनों गणनाओं के लिए भा.द.सं. की धारा 376 (2) (एम), 376 (ए) और 302 समवर्ती रूप से वास्तविक कारावास की न्यूनतम अवधि बीस वर्ष की सजा उचित होगी।

59. हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

60. अपील खारिज कर दी जाती है लेकिन सजा को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया जाता है।

61. इस फैसले की एक प्रति अनुपालन और अभिलेख के लिए तुरंत संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजा जाता है।

62. इस मामले के अभिलेखों को तुरंत विचारण न्यायालय को वापस कर दिया जाए।

63. अंतर्वर्ती आवेदन/आवेदनों, यदि कोई हो, का भी तदनुसार निपटारा कर दिया जाता है।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(नानी तागिया, न्यायमूर्ति)

मनोज/कृष्ण-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।